IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

"स्वतंत्रता के बाद भारत में किसानों की स्थिति और कृषि सुधार"

डॉ. अनीता देशपांडे प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
शोधार्थी – चन्द्रप्रभा जाटव

भूमिका:–

कृषि ने मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतिहास से पता चलता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है यहाँ प्राचीन काल से खेती ही लोगों के जीवन यापन का मुख्य साधन रहा है। भारत में कृषि का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही भारत में उन्नत तरीके से फसलों का उत्पादन किया जाने लगा था। इस सभ्यता के लोग पशुओं की सहायता से और पत्थरों और धातुओं द्वारा बनाये कृषि यंत्रों की सहायता से कृषि उत्पादन करते थे। समय के साथ–साथ कृषि के क्षेत्र में कई बदलाव होते रहे। भारत में प्राकृतिक संसाधनो की हमेशा से ही प्रचुरता रही जिसके कारण हमारे यहाँ फसलो की सिंचाई में कभी कोई परेशानी नहीं रही और दोहरी मानसूनी वर्षा के कारण हमेशा फसलो का उत्पादन अच्छा होता रहा है। आज भी हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी लगभग 70% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं और यही कारण है कि लगभग इतने ही लोग आज भी गांवो में निवास करते हैं जिसमें अधिकांश लोग किसान या कृषि कार्यो से जुड़े मजदूर हैं इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 17.5% है (2015 -16 के अनुसार) जो कि 1950 के दशक में लगभग 50% थी। पिछले कुछ दशकों के दौरान अर्थव्यवस्था के विकास में उत्पादन व सेवा क्षेत्रों का योगदान तेजी से बढ़ा है जबकि कृषि के क्षेत्र में गिरावट आई है। भारत में 70% लोगों की जीविका कृषि पर निर्भर है अतः यहाँ कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है।

स्वतंत्रता के बाद भारत में कृषि सुधारः–

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के राजनीतिक नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश का सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास था क्योंकि उस समय 80% से भी अधिक जनसंख्या की आजीविका कृषि पर निर्भर थी अर्थात् आर्थिक विकास का पर्याय कृषि विकास ही था क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत की कृषि व्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी, जिसके कुछ प्रमुख कारण थे जैसे– कुछ गिने–चुने हाथों में भूमि का केंद्रीकरण, बिचौलियों की प्रभावशीलता, अधिकांश किसानों का गरीब होना, ग्रामीण बेरोजगारी, न्यूनतम कृषि उत्पादन, तकनीकी सुविधाओं का अभाव, सामाजिक पिछड़ापन और भेदभाव तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता, रूढ़िवाद, जातिवाद, धर्मांधता का वर्चस्व आदि इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण जीवन और कृषि में सुधार करना तात्कालिक सरकार की पहली प्राथमिकता थी। उस समय में कृषि सुधारों से जुड़ी तीन अवधारणाएं प्रमुख थी।

1. भारतीय साम्यवादी दलों द्वारा भूमि के राष्ट्रीयकरण को अनिवार्य माना गया।
2. विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के अंतर्गत भूमि सुधारों के नैतिक दबाव के आधार पर तय करने का आह्वान किया गया।
3. 1949 में कांग्रेस कृषि सुधार के प्रतिवेदन में संघीय लोकतांत्रिक ढांचे के अधीन भूमि सुधार तथा सहकारी खेती पर बल दिया गया।

उपरोक्त अवधारणाओं में पहली दो अवधारणाओं को कानूनी समर्थन के अभाव में अस्वीकार कर दिया गया। जबकि तीसरी अवधारणा को कांग्रेस की नीतियों के आधार पर ही कृषि सुधारों की प्रक्रिया का प्रारंभ करने का निश्चय किया गया। 1955 के आवड़ी अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा सामाजिक ढांचे के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सुधारों के निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित किए गए।

1. ग्रामीण भारत में प्रभावी अर्द्ध सामंती सामाजिक संबंधों, सामाजिक संगठनों तथा आर्थिक संस्थाओं का उन्मूलन।
2. वास्तविक किसानों को भूमि का वितरण ।
3. सरकारी सामुदायिक विकास योजनाओं द्वारा प्रगतिशील किसानों की क्षमताओं में वृद्धि।
4. खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि।
5. काश्तकारी अवधि की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
6. लगान का भुगतान नगदी में करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति सरकार द्वारा संसदीय लोकतंत्र के अधीन तथा संपत्ति के अधिकार को बिना क्षति पहुँचाए की जानी थी अतः कांग्रेस के इन प्रस्तावों का अनुमोदन भारतीय संसद द्वारा भी कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात योजना आयोग तथा केंद्र और अन्य राज्य सरकारो ने भूमि सुधारो के व्यापक कार्यक्रमों को जारी किया इसके अंतर्गत मिल्कियत ढांचे में संस्थागत और

संरचनात्मक परिवर्तन किए गए जिसके चलते भूमि स्वामित्व की नई अवधारणा सामने आई और कृषि क्षेत्रों में आधुनिकीकरण की मांग की गई जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर पर सहायता पहुँचाने वाले संस्थानों का गठन किया गया।

भूमि सुधार कार्यों में उठाए गए कदमः–

1. बिचौलियों का उन्मूलन।
2. काश्तकारी सुधार।
3. भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि की सीमा का निर्धारण (भूमि हदबंदी)

उपरोक्त सुधारों का एकमात्र उद्देश्य था कि भारतीय किसान को जमींदार और जागीरदार जैसे बिचौलियों के चंगुल से किस प्रकार मुक्त किया जाए और उनकी जमीन को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि कृषि के आधुनिकीकरण के लिए यह पूंजी निवेश कर सकें।

1. बिचौलियों का उन्मूलनः–

इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा जमींदार और जागीरदार जैसे बिचौलियों को समाप्त करना था, ताकि किसानों के साथ सीधा संपर्क कायम किया जा सके और लघु किसानों के साथ–साथ बड़े बड़े भूमि स्वामियों को भी काश्तकार की श्रेणी में शामिल किया जा सके।

कृषि श्रम जांच रिपोर्ट 1951 के अनुसार आजादी के समय व्यक्तिगत स्वामित्व की 57% कृषि भूमि पर जमींदारों का प्रभुत्व था। कुल किसान परिवारों में 20% लोग भूमिहीन थे। 2.5 एकड से कम भूमि प्राप्त किसानों का प्रतिशत 38% था। कुल खेती योग्य भूमि के मात्र 6% हिस्से पर ही उनका अधिकार था तथा 59 प्रतिशत कृषि परिवारों के पास 5 एकड़ से कम भूमि थी जो कुल खेती योग्य भूमि का 16% थी।

सरकार द्वारा जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में सरकार को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा जिसके चलते अनुच्छेद 31 में संशोधन करके ही भूमि सुधारों को लागू किया जा सका।

2. काश्तकारी सुधारः–

इसके अन्तर्गत काश्तकारों को भूमि जोतने का स्थाई अधिकार दे दिया गया परंतु वे जमीन का विक्रय नहीं कर सकते थे केवल 1 वर्ष के लगान का 10 गुना अदा करने वाले काश्तकार ही भूमि को बेच सकते थे इस प्रकार अधिकांश किसान सरकार को सीधे लगान देते थे, इन सुधारों के बाद भी जमींदारों पर अभी भी काफी भूमि बची रह गई थी और सरकार से प्राप्त मुआवजे को लाभकारी

व्यवसाय में नियोजित करके उन्होंने अपनी प्रभावपूर्ण सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखा।

कृषि सुधारों के अंन्तर्गत अनेक वैधानिक कदम उठाए गए जिसमें काश्तकारी अवधि की सुरक्षा, लगान दर के निर्धारण तथा काश्तकारों को भूमि स्वामी बनाने के उद्देश्य से कई कानून बनाए गए तथा कृषि भूमि की सीमा तथा भूमिहीनों को कृषि वितरण के संबंध में भी कानून बनाए गए। छठे दशक के प्रारंभिक वर्षो में योजना आयोग द्वारा एक पारिवारिक जोत का निर्धारण किया गया जिसके सुझाव में 5 सदस्यीय परिवार के पास तीन पारिवारिक जोतों के स्वामित्व को जरूरी बनाया गया।

प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं के प्रपत्रों में भी काश्तकारों की स्थिति को सुधारने के लिए निम्न प्रस्ताव मौजूद थे।

(a) भूमि का किराया कुल उत्पादन के 1/2 से 1/4 स्तर से ज्यादा न हो।

(b) जिस भूमि के पुनर्ग्रहण की संभावना न हो उसका स्वामित्व काश्तकार को सौंपा जाए।

(c) दूरस्थ जमींदारों को हतोत्साहित किया जाए।

(d) व्यक्तिगत कृषि को प्रोत्साहन दिया जाए।

3. भूमि हदबंदीः–

पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भूमि हदबंदी कानून 1950 के दशक में ही लागू हो गया था जिसका क्रियान्वयन विभिन्न राज्यों में अलग–अलग समय पर हुआ परंतु इस भूमि हदबंदी कानून को आंशिक सफलता ही मिली, क्योंकि भूमिपतियों ने अपनी अधिकांश भूमि अपने रिश्तेदारों मित्रों व अन्य लोगों के नाम कर दी थी।

भूमि सुधारों के अंतर्गत निवेश के द्वारा भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर दिया गया। भूमि सुधारों के क्रम में प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि हदबंदी की व्यवस्था को भी शुरू किया गया जिसका उद्देश्य भूमि के उप विभाजन को रोकना था। कृषि सुधारों के अन्तर्गत सरकार ने कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कई प्रयास किए गए जिसमें गहन कृषि

जिला कार्यक्रम 1960 में लागू किया गया जिसके अन्तर्गत कुछ राज्यों के चयनित जिलों में किसानों को उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, अच्छे बीज तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना था इसके साथ ही सिंचाई की उचित व्यवस्था पर भी बल दिया गया परंतु इन सुविधाओं का सर्वाधिक लाभ बड़े और अमीर किसानों को ही प्राप्त हो सका।

नए किसान कृषि बिल 2020:

जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है परंतु स्वतंत्रता के बाद कृषि सुधार के लिए किए गए प्रावधान अभी तक अपर्याप्त ही रहे हैं। किसान हमारे राष्ट्र की रीढ़ है और भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत है फिर भी भारत में किसानों की स्थिति ठीक नहीं है। अगस्त 2018 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10.07 करोड़ किसानों में से 52.5 प्रतिशत किसान कर्ज में दबे हुए हैं। यह गरीबी और बदहाली का जीवन जी रहे हैं जबकि राष्ट्र निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है इसी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार द्वारा तीन नए किसान कृषि बिल 2020 अध्यादेश के जरिए लाए गए जिसे विपक्षी पार्टी के नेताओं और किसान समूह के विरोध के बीच पारित किया गया। यह सरकार द्वारा किया गया एक बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन है। केंद्र सरकार ने किसान बिल के तहत कृषि सुधारों को लेकर तीन अहम विधेयक पारित कराए जिनकी आशाओं और आशंकाओं को नीचे प्रदर्शित तालिकाओं द्वारा समझा जा सकता है।

1. कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून, 2020:–

आशाएं	आशंकाएं
इस कानून में एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को राज्य की ए.पी.एम.सी. (कृषि उपज मंडी समिति) की पंजीकृत मंडियों से बाहर उपज बेचने की स्वतंत्रता होगी।	अगर किसान ए.पी.एम.सी. (कृषि उपज मंडी समिति) मंडियो के बाहर उपज बेचता है, तो राज्य को राजस्व का नुकसान होगा क्योंकि वे मंडी शुल्क नहीं ले पाएंगे।
इसमें किसानों की उपज का एक राज्य से दूसरे राज्य में विक्रय बिना किसी बाधा के प्रोत्साहित किया जाता है।	कृषि व्यापार अगर मंडियों से बाहर हो जाता है, तो 'कमीशन एजेंटों' का क्या होगा?
यह विधेयक विपणन और परिवहन पर खर्च को कम करने की बात करता है, ताकि किसानों को अच्छे दाम मिल सकें।	जिसके परिणाम स्वरुप धीरे–धीरे एम.एस. पी. (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर उपज खरीदना बंद हो जाएगा और मंडियाँ बंद हो जाएँगी।
यह विधेयक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए एक सुविधाजनक ढांचा प्रदान करने की भी बात करता है।	मंडियो में व्यापार बंद होने के बाद मंडी सरंचना जैसे, ई–नाम जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम का अंत हो जायेगा।

2. किसान (सशक्तिकरण व सरंक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर अनुबंध–विलेख कानून, 2020:–

आशाएं	आशंकाएं
यह कानून कृषि अनुबंध (अनुबंध खेती) को निर्दिष्ट करता है, जो अनुबंध खेती के लिए एक राष्ट्रीय रूपरेखा प्रदान करता है।	अनुबंध खेती के दौरान, प्रायोजक से खरीद और बिक्री पर चर्चा करने के मामले में किसान कमजोर होगा।
इस कानून के तहत, किसान भविष्य में अपनी उपज को एग्री–ट्रेडिंग फर्मा, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बडे विक्रेताओं के साथ अनुबंध करके बेच सकते हैं।	प्रायोजक, छोटे किसानों की भीड़ के कारण उनसे अनुबंध करना पसंद नहीं करेंगे।
पांच हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे किसान अनुबंध से लाभ प्राप्त कर सकेंगे।	विवाद की स्थिति में, एक बड़ी निजी कंपनी, निर्यातक, थोक व्यापारी या प्रोसेसर और प्रायोजकों के पास एक बढ़त होगी।
बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसान के बजाय अनुबंध खेती के प्रायोजकों पर डाल दिया गया है।	
अनुबंधित किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति, तकनीकी सहायता और उपज स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण सुविधा और उपज बीमा सुनिश्चित कराई जाएगी।	
इसके तहत, किसान बिचौलिए को दरकिनार कर सकता है और पूरी कीमत के लिए सीधे बाजार जा सकता है।	
किसी भी विवाद के मामले में, एक निर्धारित समय में एक प्रणाली स्थापित करने के लिए भी कहा गया है।	

3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020:–

आशाएं	आशंकाएं
इस कानून में आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को हटाने का प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि युद्ध और आपदा जैसे 'असाधारण परिस्थितियों' को छोडकर, अब उन्हें जितना चाहें संग्रहित किया जा सकता है।	'असाधारण परिस्थितियों' में कीमतों में जबरदस्त इजाफा होगा जिसे बाद में नियंत्रित करना मुश्किल होगा।
यह कानून कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र के डर को कम करेगा, क्योंकि अब तक, अत्यधिक कानूनी हस्तक्षेप के कारण, निजी निवेशक आने से डरते थे।	बड़ी कंपनियों में किसी भी उत्पाद को अधिक स्टोर करने की क्षमता होगी। इसका मतलब यह है कि वे कंपनियां फिर किसानों को कीमत तय करने के लिए मजबूर करेंगी।
इस कानून के आने से कृषि अवसंरचना में निवेश बढ़ेगा, कोल्ड स्टोरेज और खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं का आधुनिकीकरण होगा।	
इस कानून के आने से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को किसी सामान के मूल्य में स्थिरता लाने में मदद मिलेगी।	
इस कानून के आने से प्रतिस्पर्धी बाजार का वातावरण और किसी उपज के नुकसान में कमी आएगी।	

सारांशः–

इन कानूनों के पक्ष में सरकार का स्पष्ट मानना है कि यह कानून किसानों को अपने उत्पादों को पंजीकृत ए.पी.एम.सी. (कृषि उपज मण्ड़ी समिति) मंडियों से बाहर बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करता है जिसके लिए किसानों के उपज की बिक्री पर कोई फीस नहीं ली जाएगी। यह बिल किसानों के लिए नए विकल्प उपलब्ध कराएगा जिससे किसानों को खेती करने में अधिक सहायता होगी और किसानों को उनकी उपज बेचने पर आने वाली लागत को कम करके उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा। इस विधेयक के अंतर्गत जिस राज्य में ज्यादा उत्पादन हुआ है, उस क्षेत्र के किसान कम उत्पादन वाले राज्यों में अपनी उपज बेचकर बेहतर दाम प्राप्त कर सकेंगे। इस विधेयक के आने से अब किसान अपनी फसल में होने वाले जोखिम में खरीदार, अर्थात् जिनके साथ अनुबंध किया है भी भागीदार होगा। जिससे किसानों को फसल में होने वाले जोखिम की समस्या कम हो जाएगी और एक किसान अनुबंध विधेयक से आधुनिक तकनीक और बेहतर संसाधनों तक पहुँच बना पाएंगे। यह कानून विपणन लागत को कम करके किसान की आय को बढ़ावा देता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के साथ–साथ मूल्य स्थिरता लाना है।

वहीं दूसरी ओर किसान संगठनों को आशंका है कि, नए कानून के कारण कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों और कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और किसानों को नुकसान होगा।

कृषि मामलों के कई विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसानों को बाजार में अच्छी कीमत मिल रही होती, तो वह एम.एस.पी. पर उपज बेचने के लिए महीनों का इंतजार क्यों करते और एम.एस.पी. को कानूनी प्रावधान बनाने पर जोर क्यों देते। उनका कहना है कि जिन उत्पादों पर किसानों को एम.एस.पी. नहीं मिलता, वह उन्हें बाजार में कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होते हैं।

पंजाब के किसानों की चिंता यह है कि पंजाब में उत्पादित गेहूँ और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा एफ.सी.आई. द्वारा क्रय किया जाता है । 2019–2020 के दौरान रबी के विपनण सीजन में, पंजाब ने केंद्र द्वारा खरीदे गए लगभग 341 लाख मीट्रिक टन गेहूँ में से 130 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की आपूर्ति की।

एजेंटों और आढ़तियों को डर है कि एफ.सी.आई. अब राज्य की मंडियों से खरीद नहीं कर पाएंगे, जिससे एजेंटों और आढतियों को लगभग 2.5% कमीशन का नुकसान होगा। इसके अलावा, राज्य भी अपना छः प्रतिशत कमीशन खो देगा, जिसे वो एजेंसी की खरीद पर लगाता आया है।

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि आने वाले समय में धीरे–धीरे मंडियां खत्म होने लगेंगी और किसानों के खुले बाजार में अपनी उपज बेचने के कारण किसानों का तो तत्कालीन लाभ हो सकता है परन्तु मंडी व्यवसाय से जुड़े शहरी कमीशन एजेंटों, मंडी मजदूरों और भूमिहीन खेत मजदूरों के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा और अंत में किसानों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा।

भारत सरकार द्वारा लाये गये इन तीन कृषि कानूनों के बारे में पढ़ने और समझने से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि इन कानूनों के जरिये भारत सरकार किसानों के जीवन स्तर को बेहतर करने और उन्हें अपनी फसल के उचित मूल्य दिलाने के लिये कटिबद्व है। जिससे कि निकट भविष्य में किसानों की आय को दोगुना करने के लिये बेहतर विकल्प उपलब्ध करा सकें। तीनों कानूनों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि इन कानूनों के जरिये किसानों के जीवन स्तर को सुधारने में निम्नलिखित बिन्दु कारगर साबित होगें।

1. किसान बेहतर मूल्य पर अपने कृषि उत्पाद को अपनी पसंद के स्थान पर बेच सकता है जिससे संभावित खरीददारों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी और किसान अपनी उपज का मोलभाव कर बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकेगा।
2. किसान अपनी फसल का सौदा अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्य के लायसेंसी व्यापारियों के साथ भी कर सकता है। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी और उन्हें बेहतर दाम मिल सकेगा।
3. इस कानून के अंतर्गत पैन नंबर रखने वाले व्यापारी व्यापार के लिये योग्य होगें जिससे किसानों को स्थानीय आड़तियों और बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी।
4. किसान और व्यापारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म के माध्यम से एक व्यापार क्षेत्र में राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों के साथ व्यापार में शामिल हो सकते हैं।
5. इस कानून से देश में किसानों को उपज बेचने के लिये वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा।
6. नये कानून में किसानों को खेती करने के लिये पहले से तय कंपनी के साथ समझौता करना होगा जिससे कंपनी किसानों को बीज से लेकर कटाई तक का खर्च देगी। इस तरह की खेती में किसानों को अपनी उपज के पहले ही उसका मूल्य तय करने की आजादी होगी।

https://www.patnauniversity.ac.in/e-content/social_sciences /history/ MAHistory19.pdf

https://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/what-is-agriculture-ordinance-bill-2020

https://pib.gov.in/

https://www.applicationformpdf.com/kisan-bill-2020-pdf-in/

https://economictimes.indiatimes.com/

https://www.india.com/hindi-news/special-hindi/farm-bills-2020

https://hindi.news18.com/news/nation/what-is-farm-bills-of-modi-government

https://www.bbc.com/hindi/india-54203758